छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 228/139/परीक्षा/2014 रायपुर, दिनांक 17 MAY 2016

"सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) 2014 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना"

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 20 एवं 21.05.2016 को जिला–सरगुजा (अम्बिकापुर), बिलासपुर, दुर्ग–भिलाई, बस्तर (जगदलपुर) एवं रायपुर के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।

उक्त परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रवेश पत्र दिनांक 14.05.2016 को आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in पर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र व्यक्तिशः नहीं भेजा जाएगा।

2/ सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) परीक्षा–2014 का आयोजन दिनांक 20 एवं 21/05/2016 (शुक्रवार एवं शनिवार) को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में संपादित की जाएगी। उक्त परीक्षा में सम्मिलित ऐसे सभी अभ्यर्थी जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं या ऐसे अभ्यर्थी जिनके दोनों हाथ नहीं है, या जो अपने दाएं–बाएं दोनों हाथों का उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय प्रमाण पत्र/सिविल सर्जन का चिकित्सीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा सह लेखक की सुविधा दी जायेगी। सह लेखक की शैक्षणिक योग्यता बारहवीं (10+2) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी, सहायक लेखक की सुविधा प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सहायक लेखक की दो पासपार्ट साईज फोटो, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, सह लेखक के रूप में कार्य करने के संबंध में उसकी सहमति के साथ कार्यदिवस में दिनांक 17.05.2016 से 19.05.2016 तक आयोग कार्यालय में अनुभाग अधिकारी (परीक्षा) से अनिवार्यतः संपर्क करें।

2.1/ अभ्यर्थी उक्त परीक्षाओं में केल्क्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर, स्मार्ट फोन, स्मार्ट वाच अथवा किसी भी प्रकार के संचार साधन लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

2.2/ यदि परीक्षा केन्द्र परिसर में कहीं भी कोई भी मोबाइल फोन चालू पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध अनुचित साधन प्रयोग का प्रकरण बनाया जाएगा चाहें अभ्यर्थी द्वारा उसका प्रयोग किया गया हो अथवा नहीं।

2.3/ परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/अशिष्ट, उद्दण्ड आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा एवं उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे।

सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग,
रायपुर